निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 01/2024 (राजस्व अपील)

पदम सिंह पुत्र स्व॰ रूप सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व॰ श्री भैरू सिंह,
2. रतन कंवर पुत्री स्व॰ श्री भंवर सिंह,
3. जतन कंवर पुत्री स्व॰ श्री भैरू सिंह,
4. अजित सिंह पुत्र स्व॰ श्री कान सिंह,
5. मान सिंह पुत्र स्व॰ श्री कान सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।

मुख्य रेस्पोडेन्ट

6. नवेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह,
7. देवेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह,
8. पूनम कंवर पुत्री स्व॰ रामसिंह,
9. करण सिंह पुत्र जीवन सिंह,
10. हनुमान सिंह पुत्र जीवन सिंह,
11. सायर कंवर पत्नी जीवन सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।

12. छोटू उर्फ गोरब पुत्र भीम सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता आशा कंवर,
13. बाबू सिंह पुत्र स्व॰ श्री भीम सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता आशा कंवर,
14. भानू सिंह उर्फ भारत पुत्र भीम सिंह जरिये संरक्षक माता आशा कंवर,
15. आशा कंवर पत्नी भीम सिंह,
16. मुन्ना कंवर पुत्री स्व॰ श्री रूप सिंह,
17. धीरू पुत्री स्व॰ श्री रूप सिंह,
18. नीरू पुत्री स्व॰ श्री रूप सिंह,
19. रतन कंवर पत्नी स्व॰ श्री रूप सिंह,
20. सवाई सिंह पुत्र स्व॰ श्री गोविन्द सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
22. उप–पंजीयक कार्यालय तहसील जयपुर जिला जयपुर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1248 ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर दिनांक 05.03.2010

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थित :–

1. श्री सुशील कुमार यादव अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 एवं 4 से 8 की ओर से।

निर्णय दिनांक 26.08.2025

1. संक्षेप में प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तरकरण संख्या 1248 ग्राम जयसिंहपुराखोर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर आदेश दिनांक 05.03.2010 के विरूद्ध पेश कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज किये जाने हेतु प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 से 8 की ओर से अभिभाषक श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल ने वकालतनामा पेश किया। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय से तहत रिकार्ड तलब किया किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित छाया प्रति प्राप्त हुई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।
4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज चतरसाल सिंह के चार पुत्र कान सिंह, गोविन्द सिंह, लाल सिंह व गंगासिंह हुये। लालसिंह व गंगासिंह ना–औलाद फौत होने के कारण उनके हिस्से की 1/4–1/4 हिस्से के विधिक वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 20 जायन्दा विधिक वारिसान है, जिसके कारण लाल सिंह व गंगासिंह की विरासत के आधार पर चतरसाल की उक्त सम्पति में 1/2 हिस्से के कान सिंह एवं 1/2 हिस्से के गोविन्द सिंह कानूनन रूप से हक एव अधिकारी हुये क्योंकि लाल सिंह एवं गंगासिंह ना–औलाद एवं निर्वसीयत फौत हुये है। इसलिए उक्त आराजी में कान सिंह व गोविन्द सिंह को 1/2–1/2 हक हिस्सा निहित होकर इसी प्रकार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उनकी फौती के पश्चात उनके वारिसान भी उक्तानुसार ही उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये एवं बिना विवेचन किये ही बिना किसी आधार के उक्त आराजी के 1/25 भाग का अपीलाधीन नामान्तरकरण मुख्य रेस्पोडेन्ट के पूर्वज पिता भैरू सिंह पुत्र कान सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया, जो निरस्तनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में त्रुटिवश लाल सिंह जो कि ना–औलाद फौत हुआ था उसकी विरासत भैरो सिंह पुत्र लाल सिंह के रूप में दर्ज हो गई जबकि लाल सिंह द्वारा अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया गया था तथा ना ही चतरसाल सिंह की विरासत में भैरू सिंह पुत्र लाल सिंह के नाम का कोई व्यक्ति था। जिसके नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 व 8 का कतई गौर नही कर केवल लाल सिंह की विरासत का फौती नामान्तरकरण केवम मात्र भैरू सिंह पुत्र लाल सिंह के नाम दर्ज कर दिया जो Ab Initio Null & Void होने से निरस्तनीय है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना में अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना में प्रत्येक हिन्दू निर्वसीयत फौत होने के पश्चात उसके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में मृतक के समस्त कानूनी हक अधिकारी स्वतः ही समाहित हो जाते है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट ही मृतक लाल सिंह के प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारीणी मौजुद होने के बावजूद भी अपीलाधीन नामान्तरकरण केवम मात्र मुख्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता भैरू सिंह के नाम तस्दीक

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करने में गंभीर त्रुटि की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन नामान्तरकण तस्दीक करने से पूर्व सभी प्रभावित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था परन्तु बिना उक्त तथ्यों को गोर किये की अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसके समर्थन में 2011 RRT 602, 829, 1998 RRD 465, 1994 RRD 77, 1992 RRD 691 नजीर प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायाल द्वारा पारित अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही विधि, विधान, संचिका पर उपलब्ध तथ्यों साक्ष्य सबूतो के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से एवं Substantial question of law के विन्दु के विपरीत जाकर तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि किये जाने के कारण मृतक के सभी वास्तविक विधिक वारिसान के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन विरासत नामान्तकरण तस्दीक करने में अहम कानूनी भूल किये जाने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी। दिनांक 01.01.2024 को मुख्य रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त अवैध नामान्तरकरण की आड़ में भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने हेतु दिगर व्यक्तियों को मौके पर लाये तथा भूमि खरीद फरोख्त की बाते करने लगे। जिसका कारण अपीलान्ट द्वारा पूछे जाने पर उक्त समस्त तथ्यों व अपीलाधीन नामान्तरकरण के तथ्यों से मुख्य रेस्पोडेन्ट द्वारा अवगत करावाया तथा भूमि को विक्रय करने की धमकी देने से उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकण निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 4 से 8 के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में जो सजरा खानदान अंकित किया है वह गलत अंकित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के बाबत प्रार्थी भैरू सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज कर तहसीलदार द्वारा मृतक के कानूनी एवं विधिक वारिसान को नोटिस दिया जाकर बाद जांच मौका एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने पश्चात अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण लालसिंह व गेन्दी कंवर के दत्तक पुत्र भैरू सिंह बचपन में ही लालसिंह व गेन्दी कंवर के पास रहता चला आ रहा था तथा भैरूसिंह के द्वारा ही लाल सिह व गेन्दी कंवर के अन्तिम संस्कार व समस्त सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रम किये गये थे तथा लाल सिंह के पगडी भी भैरू सिंह के बंधी थी तथा स्वर्गीय लाल सिंह के स्वर्गवास के पश्चात उनकी ग्राम मानपुर सडवा में स्थित भूमि का फौती का नामान्तरकरण भी भैरू सिंह के पक्ष व हक में खोला गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जांच करते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो विधि अनुसार तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक हो जाने के लगभग 9 माह पश्चात एक पारिवारिक समझौता पत्र इस प्रकार से निष्पादित व तस्दीक किया गया, जिससे समस्त पक्षकारान द्वारा विवादित भूमि का मनबट के आधार पर कब्जा सुपुर्द कर काबिज हुये तथा विवादित भूमि के स्वामित्व के लिये समस्त पक्षकारान की कोई आपत्ति नहीं कि एवं पारिवारिक बंटवारानामा के आधार पर ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते जाएंगे तथा एक दुसरे के स्वामित्व को लेकर किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं करेगें एवं उपरोक्त विवादित पैतृक सम्पति का पारिवारिक समझौता पत्र के आधार पर ही विभाजन करवायेगें। अपीलान्ट ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुये उक्त अपील पेश की है जो

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने उक्त अपील में बिन्दु अंकित किया गया है कि भैरू सिंह का नाम राजस्व जमाबन्दी में कान सिंह के उत्तराधिकारियों के रूप में भी अंकित है एवं लाल सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में भी अंकित है। जिस बाबत अपीलान्ट को बखूबी पता है कि स्वर्गीय भैरू सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में जीवित रहते हुये स्वर्गीय कान सिंह के हिस्से की भूमि में विरासत का नामान्तरकरण जो गलत रूप से भैरू सिंह के पक्ष में खुल गया था के बाबत भैरू सिंह ने एक रजिस्टर्ड हक त्याग कान सिंह के अन्य वारिसान के हक में त्याग कर दिया गया था। पंजीकृत हक त्याग हो जाने के पश्चात ही अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य पारिवारिक समझौता पत्र निष्पादित किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 के संबंध में अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही जानकारी थी यह मिथ्या है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी। पारिवारिक समझौता पत्र पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की गरज से उक्त अपील नियाद बाहर पेश की है। अतः अपील सारहीन होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ परिलक्षित होता है कि लाल सिंह एवं गैन्दी कंवर बेवा लाल सिंह के नाऔलाद फौत होने पर दत्तक पुत्र के रूप में भैरू सिंह के हक में विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। भैरूसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग से सामाजिक एवं कानूनी रूप से स्वयं को अपने जैविक पिता से अलग होना जाहिर किया है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन करने पर कान सिंह के फौत होने पर नामान्तकरण में भैरूसिंह पुत्र कान सिंह के नाम का अंकन किया गया एवं गेन्दी देवी बेवा लालसिंह के फौत होने पर विरासत के आधार पर भैरू सिंह का नाम अंकित होने से भैरूसिंह की वल्दियत स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से भैरू सिंह को लाल सिंह व गेन्दी देवी का दत्तक पुत्र मानते हुए उत्तराधिकारी मान लिया था। पत्रावली पर उपलब्ध पारिवारिक समझौते पर अपीलान्ट पदमसिंह के हस्ताक्षर यह साबित करने के लिए पर्याप्त है तथा अपीलान्ट पदम सिंह को पारिवारिक समझौते में अंकित तथ्यों एवं संबंधों की भलीभांति जानकारी थी साथ ही प्रार्थना पत्र धारा –5 नियाद अधिनियम के संबंध में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होना समुचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलाधीन नामान्तकरण खोले जाने के 14 वर्षों की दीर्घावधि व्यतीत हो जाने पर अपील पोषणीय नहीं है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर सुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner